न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 96/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रवि गोयल पुत्र श्री पवन कुमार —विकेता—
   मै0 पारस फूड प्रोडक्टस, ई–177, उद्योग विहार, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय **दिनांक : 09.02.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजन समयसीमा बढाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आदेशित किया गया है। आवेदक श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाक्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने श्रीमान अभिहीत अधिकारी गंगानगर से उनके पत्र कमांक 1242–43 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर परिवाद मा. न्यायालय में पेश किया।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.02.2022 को समय दोपहर 01 बजे मै. पारस फूड प्रोडक्टस, ई 177, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विकेता की हैसियत से श्री रवि गोयल पुत्र श्री पवन कुमार गोयल को अपना परिचय देकर दुकान के अंदर रखे **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने दुकान पर रखे **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** 100–100 ग्राम के 210 नग को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** का नमुना विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** के 12 पैकेट विकेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विकेता को उक्त कयशुदा **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 180 रुपए किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विकेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रवि गोयल पुत्र श्री पवन कुमार गोयल एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री रवि गोयल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** को समरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर, प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 36–36 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किए और चारों बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1364** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं. के–1364** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रवि गोयल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :– एलएस/234/एक्ट/2022/234 दिनांक 22.02.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1364 Misbransed Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री रवि गोयल पुत्र श्री पवन कुमार **मै0** पारस फूड प्रोडक्टस, ई–177, उद्योग विहार, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **फूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी फर्म पारस फूड प्रोडक्टस, ई–177 उद्योग विहार, श्रीगंगानगर में काम करता था। दिनांक 09.02.2022 को दोपहर बाद वक्त 1 बजे

श्रीगंगानगर

के बाद उक्त फर्म पर दौराने जांच खाद्य पदार्थ फ्रूटी ब्रेड पारस ब्राण्ड मौजूद था। जो बाद अमानक मिसब्राण्डेड पाया गया है। आप द्वारा फ्रूटी ब्रेड पारस ब्रेड का विक्रय करके एफएफएसए 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है। प्रार्थी उक्त फर्म में काम करता था, प्रार्थी का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्रार्थी इसके लिए क्षमा मांगता है। जवाब पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए न्यायोचित कार्यवाही की जावे।

परिवाद में दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **फ्रूटी ब्रेड(पारस ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1364** जांच रिपोर्ट क्रमांकएलएस/234/एक्ट/2022/234 दिनांक 22.02.2022 अनुसार खाद्य नमूना **K-1364 Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त फर्म में काम करता था, प्रार्थी का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्रार्थी इसके लिए क्षमा मांगता है। अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए न्यायोचित कार्यवाही की जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Fruity Bread (PARAS)" bearing Code No and Sr. No. K-1364, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006.** जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री रवि गोयल पुत्र श्री पवन कुमार गोयल** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री रवि गोयल पुत्र श्री पवन कुमार गोयल** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर